

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ द्वारा लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नैसर्ग भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आवंटित पेट्रोल पम्प ग्राम अलीपुर-चकराई, तहसील-बलमक, जिला-रायबरेली (राज्य मार्ग सी0-30) के माटा सी0-378 में बांकी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. नैसर्ग भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित आउटलेट माटा सी0-378 स्थित ग्राम-अलीपुर चकराई तहसील-बलमक, जिला-रायबरेली में बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग-30) के बांकी और स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी 22.86 मीटर लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि (22.86 मी0) सीमा से बाहर है। संलग्न मानचित्र में अंकित दूरी तक निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की स्थायी भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।
2. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
3. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विपराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
4. एम0ओ0आर0टी0एच0 द्वारा जारी पत्रांक-आर0आर0सी0/एच0एच0 33023/19/99-वी0ओ0-III, दि0 24.07.2013 में दिव गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आर0आर0सी0 कोड 12 1983 में दी गई समस्त शर्तें लागू होंगी।
5. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
6. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लंबित मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेंमी0 नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
7. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं कितागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रैन बनाई जाये तथा उस जगह की ग्रेटिंग से ढका जाये एवं सड़क तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर 01 मी0 स्थान की सुदृढ़ आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और रिटेल आउटलेट परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रैन में जा सके।
8. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रैन की ओर रखा जाये।
9. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप एवं में जमीन से कम से कम 03 मी0 ऊपर रखा जाये।
10. लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइनेज बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
11. बफर स्ट्रिप कम से कम 1.50 मी0 चौड़ी एवं न्यूनतम 10.00 मी0 लम्बी होनी चाहिए तथा प्रवेश एवं नििकास द्वार 10.00 मी0 से कम नहीं होंगे।
12. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फ्लिंग पग का दूरी 7.00 मी0 से कम नहीं होगी।
13. नैसर्ग भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
14. वेगानार लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। सुगठना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
15. संबंधित ऑयल कम्पनी संचालन द्वारा लाईसेंस एवं प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-334171, दि0 21.09.2019 (युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया) घनराशि रु0 2,75,625/- मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली के पक्ष में जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली का पत्र सी0-700/एस0टी0-अनापत्ति प्रमाण पत्र/2019, दि0 27.11.19 तथा अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ द्वारा लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र सी0-7487/645सी(आर)-लो0वि0/2019, दि0 05.12.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(जस्ता)

(एस0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
संलग्नक-डाइग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ द्वारा लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सी0-7487/645सी(आर)-लो0वि0/2019, दि0 05.12.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली के पत्र सी0-700/एस0टी0-अनापत्ति प्रमाण पत्र/2019, दि0 27.11.19 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Swati Prasad

For And on Behalf of
UNION PETROLEUM CORP.

मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

26/12/19

2019-12-11

अनुमति प्राप्त पत्र पत्र प्रतिक्रिया के साथ निर्गत किया जाता है:-

- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित आउटलेट गेटा सं 378 स्थित ग्राम- अलीपुर चक्राई, तहसील- डलमाऊ, जिला- रायबरेली में विलगाव उन्नाव प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग सं-38) के किनारे बाई ओर स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी 22.86 मीटर लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि (22.86 मी) सीमा से बाहर है। संलग्न मानचित्र में अंकित दूरी तक निर्माण सामग्री लोडिंग/डिडो की स्थायी भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।
- भूमि स्थापित का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोकनिर्माण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विद्यमान नहीं है। तो ऐसी दशा में अनुमति प्राप्त पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
- एम्पलीफायर/डिप्लोमेटिक द्वारा सर्वेक्षण आउटलेट/एम्पलीफायर 30023/19/99-डीओ-111 दिनांक 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व शर्तों के अन्तर्गत आउटलेट/एम्पलीफायर नो-12, 1983 में की गयी शर्तों लागू होंगी।
- उपरी की शर्तों की पूर्ति हेतु भूमि बांझ होगी, तो भूमि बांझीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मशीन को अपने व्यय पर बांझ निर्माण करवाया होगा।
- रिटेल आउटलेट (डिप्लोमेटिक/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी नीचा होना चाहिए। यदि स्ट्रक पर परिसर का गती नहीं आने पाये।
- रिटेल आउटलेट (डिप्लोमेटिक/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की की ड्रेन बनायी जाय तथा उसे कोले की ड्रेन से कना जाय, एवं स्ट्रक तक पहुँचने हेतु उचित रोड पर 1 मीटर स्थान की सुदृढ़ आच्छादित पुलिका का निर्माण कार्य करवा जाये। यदि बाहरी के आवगमन में अचुकिना न हो और रिटेल आउटलेट परिसर, का पानी नाली के द्वारा मुक्त ड्रेन में जा सके।
- ड्रेन हेतु डिप्लोमेटिक/डीजल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का जल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
- पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बकर डिप्लोमेटिक क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय।
- लोकनिर्माण की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
- बकर डिप्लोमेटिक से कम 1.50 मीटर चौड़ी एवं न्यूनतम 10.00 मीटर लम्बी होनी चाहिए तथा प्रवेश एवं निकास द्वारा 10.00 मीटर से कम नहीं होये।
- बकर डिप्लोमेटिक के बाहरी सिरे से पब्लिक फिलिंग पम्प की दूरी 7.00 मीटर से कम नहीं होगी।
- वेगमार्ग लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवगमन हेतु सुव्यवस्थित स्थान पर स्थित किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। सुचिन्ता होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।

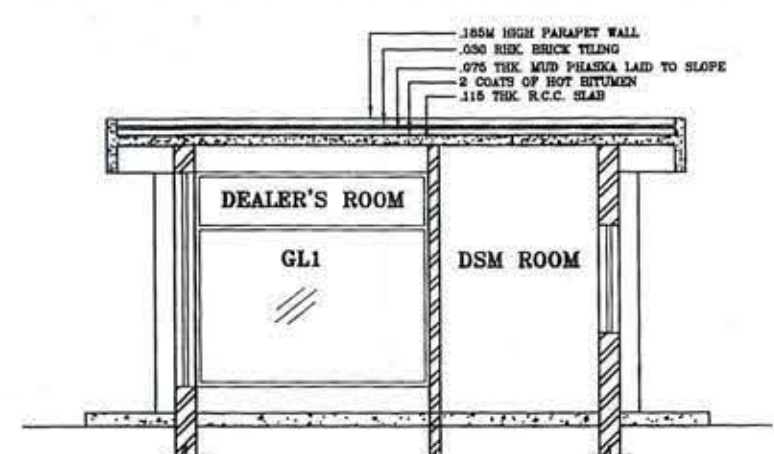
अवर अभियन्ता
निष्ठ-1, लोकनिर्माण,
रायबरेली

सहायक अभियन्ता
निष्ठ-1, लोकनिर्माण,
रायबरेली

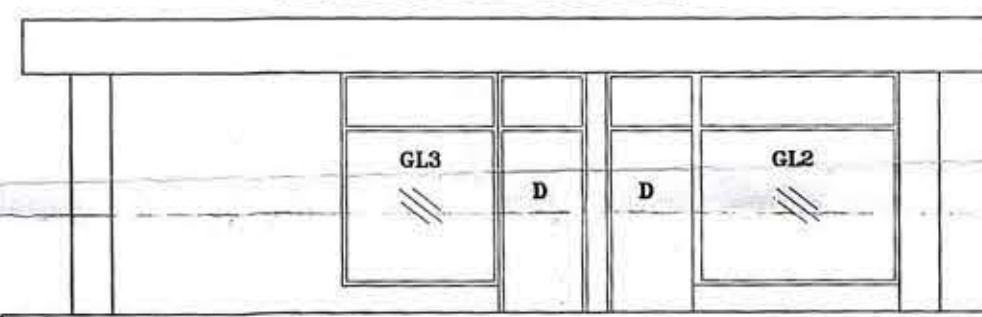
अधिसूचित अभियन्ता
निष्ठ-1, लोकनिर्माण,
रायबरेली

KM STONE NO. 180
DALMAU = 14 Km
UNCHAHAAR = 21 Km

For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Suraj Pratap
26/12/19



SECTION B-B



ELEVATION A

NOTES :-

- V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
- F = FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
- D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
- ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148
- ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
- NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE U/G TANK & D/U.
- PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
- TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
- FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S. : 10987 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) P/MISC 94 DATED-24.02.99.
- ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
- S.B. SAND BUCKET 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
- F.E. FIRE EXTINGUISHER, 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
- TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
- DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
- FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
20KL SHELL-6MM
END-8MM
- TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
- ALL LIGHT POLES AER FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED-26.11.1963.
- NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
- SITE MEETS APPLICABLE IRC.1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
- EV - EXTENDED VENT POINT
E = EXTENDED FILL POINTS.
- THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
- NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES.
- PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR
- HOARDING BOARD WILL BE NOT USED FLEX MATERIAL.

SITE INFORMATION

PLOT AREA	1451.61 Sqm.
KHASRA NO.	378
LOCATION	VILL.- ALIPUR CHAKRAI
PARGANA	DALMAU
TEHSIL	DALMAU
POST OFFICE	DEENSHAH GAURA
POLICE STATION	GADAGANJ
RAILWAY STATION	JALALPUR DHAI
DISTRICT	RAEBARELI
STATE	UTTAR PRADESH
PIN CODE	229 204
NEAR KM STONE NO.	181
ROAD NAME	S.H.-38
REVISION	DRG. NO.
DATE	ZONE OR PART
BRIEF RECORD	INITIALS



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
(MARKETING - DIVISION)

Subject:- Layout Plan of a Retail Outlet

On Dalmau - Unchaahar Road, At - Village - Alipur Chakrai
, Tehsil - Dalmau, District - Raebareli, Near Km. Stone No.181
(S.H.-38) (Chainage - 180+935.90)

Distt.- Raebareli (U.P.)

At.- Village - Alipur Chakrai

DATE- 09.09.2019

CHIEF ENGINEER

DIV./MANAGER

SCALE 1 : 200

DRAWN Arvind Kumar

TRACED

CHECKED

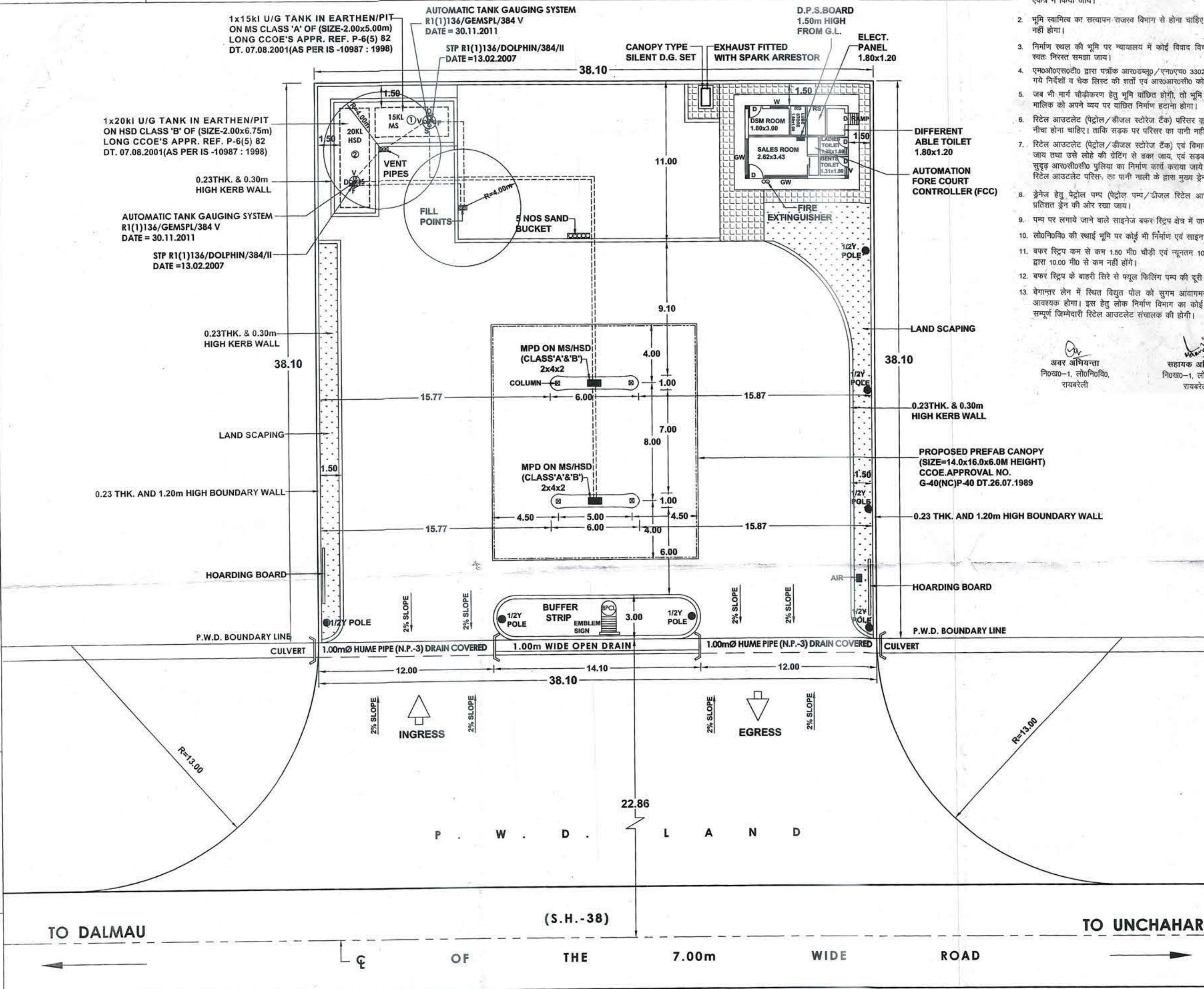
09.09.19 BPCL/R181/2019

DATE DRAWING NO.

NUMBERS CROSSED
OUT ARE SUPERSEDED
DRAWING NO.

BPCL/R181/2019

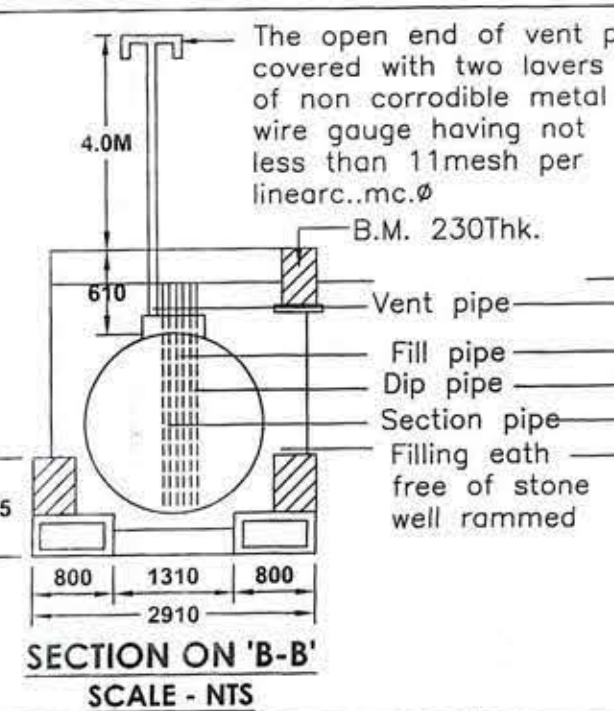
DRAWING NO.



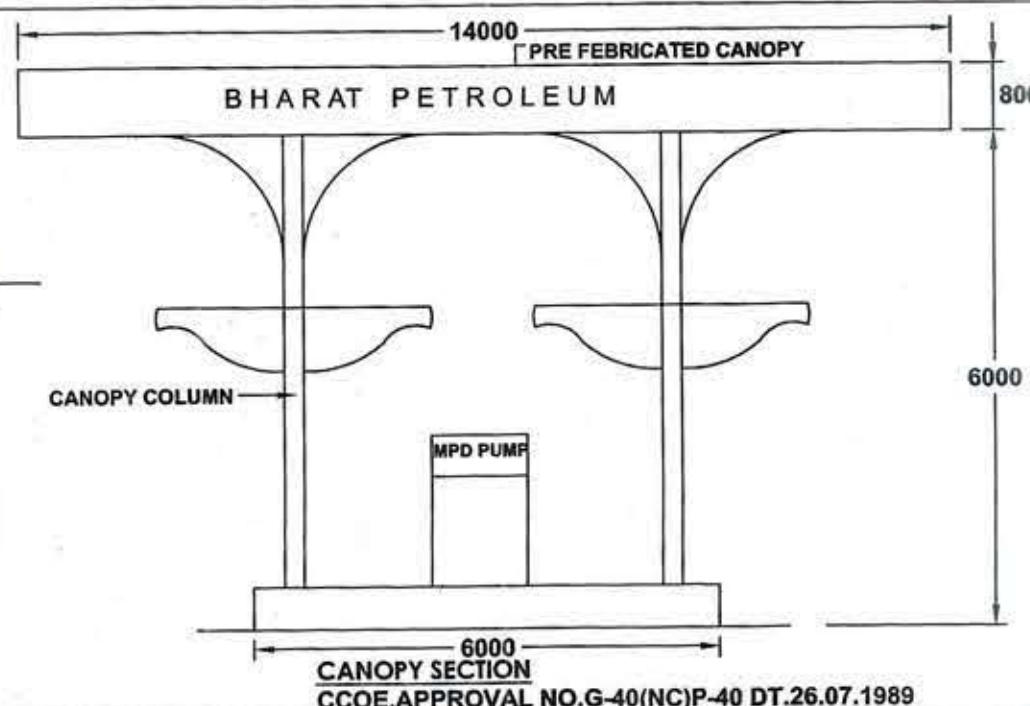
LAYOUT PLAN

Scale= 1:200

Dimension in Mts



SECTION ON 'C-C'
SCALE - NTS



DETAIL OF DISPENSOR

Sr.No.	TYPE OF DISPENSOR				
1	1 MPD MS/HSD				
2	1 MPD MS/HSD				
DETAIL OF TANKS					
Sr.No	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT